— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 29/09/2025

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि चक 3 एनएसडब्लयू के खाता सं. 67 के प.नं. 47/334 की कुल 5.060 हैक. व खाता सं. 66 के प.नं. 47/332 के किला नं. 1 ता 5 की 1.265 हैक. कृषि भूमि का वादीगण को ब.हि.ब. [illegible]र घोषित किया जाता है।

3

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:49:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 29/9/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड् अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:49:41 IST
Reason: SelfAttested